न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 76 / 2019(जी.सी.एम.एस. 2019 / 00172)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. जगदीश राय पुत्र हुकमचंद जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 8 पुराना हनुमान मंदिर एकतानगरी, मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा। 2. ओमप्रकाश पुत्र हुकमचंद जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 8 पुराना हनुमान मंदिर एकतानगरी, मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।	1. रमेश कुमार पुत्र मुंशीराम जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 19 वाल्मिकी मौहल्ला नजदीक आर के ट्रांसपोर्ट कम्पनी हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ। 2. राजकुमार पुत्र मुंशीराम जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 19 वाल्मिकी मौहल्ला नजदीक आर के ट्रांसपोर्ट कम्पनी हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ। 3. नीलम पत्नी प्रेम कुमार जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 19 वाल्मिकी मौहल्ला नजदीक आर के ट्रांसपोर्ट कम्पनी हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ। 4. दुर्गा देवी पत्नी मुंशीराम जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 19 वाल्मिकी मौहल्ला नजदीक आर के ट्रांसपोर्ट कम्पनी हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ। 5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजूः– 26.09.2019

उपस्थितः1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादीगण

2.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4

––निर्णय–– दिनांकः 28.03.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 58 एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 05/05 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1,2,4 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के पूर्वजो ने काश्त सहूलियत के लिए दिनांक 16.04.1985 को घरू बंटवारा किया था। घरू बंटवारा के अनुसार मुंशीराम को चक 58 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 8, 21, 24 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.126 हैक्टेयर कुल 3.162 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई। इसी प्रकार हुकमचन्द को घरू बंटवारा में चक 58 एफ ए के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 9 ता 20 प्रत्येक सालम-सालम व किला नम्बर 25 के 10 बिस्वा कुल 3.161 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई। घरू बंटवारानामा की रोज से बंटवारानामा में प्राप्त भूमि पर हम वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा लगातार, शांतिपूर्वक, बेरोकटोक चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सा में आये किलाजात पर काबिज अवश्य है। लेकिन उक्त भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली सरकारी अनुदान, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता आदि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज जोत विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को किलावाईज अलग से अपने नाम घोषित करवाने चाहते है तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते है। वादीगण आज से दो रोज पूर्व प्रतिवादीगण से मिलकर उक्त भूमि का खाता विभाजन करवाने का कहा तो वे स्पष्ट इन्कार हो गये। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 58 एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 05/05 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से वादीगण के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2\. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादीगण के द्वारा एक दस्तावेज घरू बंटवारा दिनांक 16.04.1985 का पेश किया गया। जो दस्तावेज आज से 36 वर्ष पूर्व का है। जो दस्तावेज अस्वीकार है। मेरे पिता मुंशीराम द्वारा ऐसा कोई बंटवारा नहीं किया था, जो दस्तावेज तस्दीक नहीं होने से कानून मान्य नहीं ह। इसलिए वादीगण उक्त घरू बंटवारानामा के आधार पर भूमि का किलेवाईज बंटवारा करवाने के अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का वादपत्र खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(i)आया कि क्या वादीगण राजस्व ग्राम 58 एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 05/05 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि में से 3.162 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग कायम करवाने के अधिकारी है?

-जिम्मे वादीगण-

(ii)आया कि क्या घरू बंटवारा दिनांक 16.04.1985 तस्दीक नहीं होने के कारण मान्य नहीं है?

-जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1,2,4-

(iii)अनुतोष।

3\. वकील वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में स्वंय वादी जगदीश राय का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज फरमाया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 45 साक्ष्य अधिनियम पेश किया। जो प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस करने पर खारिज फरमाया गया। वादीगण जगदीश राय, ओमप्रकाश व प्रतिवादी संख्या 1 रमेश कुमार, प्रतिवादी संख्या 2 राजकुमार, प्रतिवादी संख्या 3 नीलम के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

4\. बहस अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दौराने बहस अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक वादपत्र डिक्री किया जावे। लिहाजा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। वादपत्र, जवाबदावा व दोनों पक्षों के गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5\. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 58 एफ ए, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 2072 के खाता संख्या 05/05 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 6.323 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	जगदीश राय पुत्र हुकमचंद जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 8 पुराना हनुमान मंदिर एकतानगरी, मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा। ओमप्रकाश पुत्र हुकमचंद जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 8 पुराना हनुमान मंदिर एकतानगरी, मण्डी डबवाली जिला सिरसा हरियाणा। (3.160 हैक्टेयर ब.हि.ब.)	58 एफ ए	30	13	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.90
				14	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				15	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				16	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				17	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				18	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				20	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				21	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				22	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				23	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				24	0.252 हैक्टेयर	नहरी	1.79
				25	0.252 हैक्टेयर	नहरी	1.79
2	रमेश कुमार पुत्र मुंशीराम जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 19 वाल्मिकी मौहल्ला नजदीक आर के ट्रांसपोर्ट कम्पनी हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ। राजकुमार पुत्र मुंशीराम जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 19 वाल्मिकी मौहल्ला नजदीक आर के ट्रांसपोर्ट कम्पनी हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ। नीलम पत्नी प्रेम कुमार जाति अरोडा निवासी वार्ड नम्बर 19 वाल्मिकी मौहल्ला नजदीक आर के ट्रांसपोर्ट कम्पनी हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ। (3.163 हैक्टेयर ब.हि.ब.)	58 एफ ए	30	1	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				2	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				3	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				4	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				5	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				6	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				7	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				8	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				9	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				10	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				11	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				12	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.80
				13	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.90

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

[श्योराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलेक्टर एवं प्रथम उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

[श्योराम (आर.ए.एस.)]
सहायक कलेक्टर एवं प्रथम उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते